न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्या: 23/18 निर्णय दिनांक:– 21–11–2019
(आरसीएमएस संख्या 2018/00259)

1. सत्तार खॉं पुत्र अमर खॉं जाति मुसलमान निवासी मोतीबढ़ हाल निवासी चक 23 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. जयवीर पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी रामसरातील तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 29–07–2016
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः
1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री कृष्ण बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉं, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला के निर्णय दिनांक 29–07–2016 जिसके द्वारा विधि तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन यथावत बहाल रखा गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 आरटीए सपठित धारा 23 उपनिवेशन के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चक 23 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 79/1 में 25 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 79/2 में 7 बीघा 13 बिस्वा कुल 32 बीघा 13 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन दिनांक 30–04–1981 को किया गया था। इसी आराजी जैर चक 23 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 79/2 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 79/3 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा भूमि का आवंटन अपीलांट को वर्ष 1998 में बतौर विशेष आवंटन किया गया था। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम राशि भी खजानाराज

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

में जमा करवा दी गई थी तथा मौके पर नियमानुसार काबिज काश्त है। अपीलांट द्वारा पूर्व में एक अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया था कि चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजकीय सेवा में रहते हुए उक्त भूमि का आवंटन करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के आवंटन को बहाल रखते रेस्पोडेन्ट का आवंटन खारिज किया जावे। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28–07–2014 को अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सरकारी सेवा में होने के तथ्यों की रिपोर्ट लेकर दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें। उक्त आदेश पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों की सुनवाई हेतु रखते हुए अपीलांट की अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी जयवीर ने साक्ष्य के आधार पर नायब तहसीलदार सिद्वमुख जिला चूरू का सरकारी सेवा में नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में स्वमेव किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई ना ही इस तथ्य पर कतई गौर किया गया कि क्या नायब तहसीलदार, इस प्रमाण पत्र को जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी है अथवा नहीं? केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को बहाल करने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट की अपील को खारिज किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को विशेष आवंटन हेतु आरक्षित भूमि है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि प्रस्तुत मामलें में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि वे तथ्यों की जॉच करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पद कार्यरत रहा है तथा वर्तमान में सेवानिवृत शिक्षक है। ऐसीस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए उपरोक्त आवंटन अपने पक्ष में करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की गई। जोकि स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अपीलांट वादग्रस्त भूमि का विधिवत आवंटी है। जिस पर अपीलांट के तमाम अधिकार स्थापित हो चुके है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादगत् भूमि चक 23 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 79/1 में 25 बीघा तथा मुरब्बा नम्बर 79/2 में 7 बीघा 13 बिस्वा कुल 32 बीघा 13 बिस्वा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन दिनांक 30–04–1981

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपने पक्ष में करवाया गया है अथवा नहीं? वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर तक चाराजोई की जा चुकी है। प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28–07–2014 को अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को रिमाण्ड की गई थी कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर देकर, रेस्पोडेन्ट के सरकारी सेवा के तथ्यों की रिपोर्ट लेकर विधि सम्मत आवंटन की कार्यवाही करें। **ऐसी स्थिति में अपीलांट जोकि इस तथ्य के साथ अपील लेकर आये है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सरकारी सेवा में रहा है ऐसी स्थिति में वह उपरोक्त भूमि के आवंटन का पात्र नहीं था। इस संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सरकारी सेवा में रहने का सबूत/साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार अपीलांट स्वयं पर था। अपीलांट द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपरोक्त आवंटन सरकारी सेवा में रहते हुए करवाया गया है।**

प्रकरण में इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने स्तर पर नायब तहसीलदार, सिद्वमुख जिला चूरू द्वारा जारी सरकार सेवा में न होने का प्रमाण पत्र जोकि चिकित्सा अधिकारी द्वारा व सरपंच रामसराताल पं.स. राजगढ़ द्वारा प्रमाणित किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि जयवीर सिंह किसी भी सरकारी विभाग में सरकारी नौकर नहीं है तथा ना ही रहा है। इनका पेशा शुरू से ही खेती रहा है तथा आज भी खेती करता है। यह केवल साक्षर है। जिसके खण्डन में अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालाय हाजा के रिमाण्ड आदेश दिनांक 28–07–2014 की पूर्ण रूप से पालना करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को यथावत रखने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–2016 उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 21–11–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

को अपीलांट को किया गया था। आवंटन पश्चात् से ही वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा दिनांक 04–0–2011 को अपीलांट को उपरोक्त भूमि के खातेदारी अधिकार भी हासिल हो चुके है। अपीलांट द्वारा पूर्व में अपीलांट के आवंटन दिनांक 30–04–1981 के विरूद्व एक अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जोकि दिनांक 28–07–2014 को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को रिमाण्ड की गई थी कि वे दोनों पक्षों को सुनवाई व सबूत का अवसर देकर, रेस्पोडेन्ट के सरकारी सेवा के तथ्यों की रिपोर्ट लेकर विधि सम्मत आवंटन की कार्यवाही करें।

उपरोक्त आदेशों के अनुसरण में अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, वरन् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नायब तहसीलदार सिद्वमुख चूरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जयवीर सिंह किसी भी सरकारी विभाग में सरकारी नौकर नहीं है तथा ना ही रहा है। इनका पेशा शुरू से ही खेती रहा है तथा आज भी खेती करता है। यह केवल साक्षर है। उपरोक्त प्रमाण पत्र के खण्डन में अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को बहाल रखा गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड आदेशों की स्पष्ट रूप से पालना की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर आवंटन के पश्चात् से विधि सम्मत तरीके से काबिज काश्त है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि पूर्ववर्ती आवंटन को बहाल रखा जाना चाहिए। अतः अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड आदेशों के अनुसरण में अपील प्रस्तुत करते हुए अपीलांट के आवंटन को बहाल रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को निरस्त करने की मांग की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन को बहाल कर गया हैं जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाः के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधी आदेश व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विः का विषय यह है कि क्या रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजकीय सेवा में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.03 16:53:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: